न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी अवुला सांईकृष्ण, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 64/2023 वाद GCMS No. 2023/115

श्री लक्ष्मण सिंह पिता श्री मोडसिंह राजपूत, निवासी बुडल, तहसील कुराबड़, उदयपुर
.....वादी

बनाम

1. श्रीमती देवकुंवर बेवा श्री देवीसिंह राजपूत, निवासी बिलकावास, तहसील भीण्डर, उदयपुर
2. निर्भय सिंह पिता मोडसिंह जी राजपूत, निवासी मकान नं0 53, श्रीराम कॉलोनी, ई–क्लास, प्रतापनगर, उदयपुर
3. श्री कल्याण सिंह पिता मोडसिंह जी राजपूत, निवासी मकान नं0 11, नाकोडा नगर, धाउजी की बावडी, गणगौर वाटिका के पास, रकमपुरा, उदयपुर
4. नरेन्द्र सिंह पिता श्री उदयसिंह राजपूत, निवासी बुडल, तहसील कुराबड, उदयपुर हाल केन्द्रीय काराग्रह उदयपोल, उदयपुर
5. महेन्द्र पिता श्री उदयसिंह राजपूत, निवासी बुडल, तहसील कुराबड़, उदयपुर
6. श्रीमती अनोप कुंवर बेवा उदयसिंह रापजूत, निवासी बुडल, तहसील कुराबड़, उदयपुर
7. भगवानलाल पिता जवान रेबारी, निवासी रेबारियों का गुड़ा, तहसील कुराबड़, उदयपुर
8. राजकुमार पिता जवान रेबारी, निवासी रेबारियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, उदयपुर

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री धनसिंह सिसोदिया अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक : 30.03.2026

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के स्वामित्व एवं अधिपत्य की मौरूसी कृषि भूमि मौजा बुड़ल पटवार हल्का लालपुरा, तहसील कुराबड़, उदयपुर के साबिक आ0स0 540, 576 व 606 है, जिसके हाल आ0स0 929 रकबा 4.4300 है0, आ0स0 937 रकबा 1.1200 है0, आ0स0 1033 रकबा 5.0900 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 11.4500 है0, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा हाल आ0स0 1033 में से कुछ हिस्सा प्रतिवादी सं0 7 व 8 के नाम कर दिया, जिससे खाते में नाम होने से उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया है। वादपत्र में अंकित सजरे अनुसार वादग्रस्त भूमि के मूल पुरूष किशन सिंह जी थे जिनका स्वर्गवास हो गया

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

है। उनके एक पुत्र मोड़सिंह हुआ जिनका भी निधन हो गया है। मोड़सिंह के पॉच पुत्र देवीसिंह, निर्भयसिंह, कल्याणसिंह, लक्ष्मणसिंह व उदयसिंह हुए। जिनमें से देवीसिंह व उदयसिंह का स्वर्गवास हो गया है। मृतक देवीसिंह की बेवा प्रतिवादी सं0 1 है तथा मृतक उदयसिंह के वारिस दो पुत्र नरेन्द्र सिंह व उदयसिंह तथा बेवा अनोप कुंवर है। मृतक मोडसिंह जी की वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/5वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या से से 3 प्रत्येक का 1/5वां हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4, 5 व 6 का संयुक्त रूप से 1/5वां हिस्सा निहित है। ऐसी स्थिति में मृतक मोड़सिंह के पॉच विधिक वारिसान होने के बावजूद बिना किसी आदेश के बिना किसी नामान्तरण के उपरोक्त कुलिया कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 से 3 के नाम खाते में अंकित कर दी गई। प्रतिवादी सं0 7 व 8 का आराजी संख्या 1033 में खाते में नाम होने से व उक्त नाम का अंकन प्रतिवादी सं0 3 द्वारा कराया गया है जो यदि विधिक रूप से सही है तो प्रतिवादी सं0 3 के 1/5 वें हिस्से में से कम कर दिया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। वाद कारण दिनांक 17.03.2023 को स्थान बुड़ल में उत्पन्न हुआ जब वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 1 से 3 को उपरोक्त कृषि भूमि को अपने नाम कराने हेतु कहा, किन्तु मना कर दिया तथा खाते की नकल लेने में जानकारी में आया कि कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के नाम करा दी है।

अतः निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/5वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी 4 से 6 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तामिल कराई गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने से प्रतिवादीगण का जवाब अवसर बंद किया गया।

प्रकरण में वादी अधिक्ता द्वारा साक्ष्य में लक्ष्मणसिंह पिता मोड़सिंह रापजूत, PW2 लालचन्द पिता रूपाजी लोहार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज प्रदर्श कराए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में साबिक जमाबंदी नकल सम्वत् 2015–2018 प्रदर्श 1, जमाबंदी सम्वत् 2019–2022 प्रदर्श 2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3, हाल जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 प्रदर्श 4, जमाबंदी सम्वत् 2023–2025 प्रदर्श 5 है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2025 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता द्वारा अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने से वादी का साक्ष्य अवसर बंद किया जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

वादी विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई। वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित अपने अभिकथनों को दोहराया गया। वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात् न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि उनके मूलपुरूष मोडसिंह पिता किशनसिंह के वारिसान होने से उनके हक हिस्से में खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया हैं। वादी द्वारा अंपने वादपत्र के समर्थन में राजस्व ग्राम बुढल की नकल जमाबंदी सम्वत् 2014 से 2018 प्रस्तुत की गई जो प्रदर्श 1 है। जिसके अनुसार वादग्रस्त साबिक आराजीयात साबिक आ0स0 540, 576 व 606 मोडसिंह वल्द किशन सिंह के नाम दर्ज रेकार्ड है। इसी के क्रम में वादी द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2026 से 29 प्रदर्श 5 प्रस्तुत की जिसके अनुसार साबिक आराजी 540, 576 व 606 प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार साबिक आराजी देव कुंवर बेवा देवीसिंह 1/3 निर्भयसिंह कल्याणसिंह 2/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है तथा साबिक आराजीयात का खसरा पत्रक प्रदर्श 3 से मिलान करने पर साबिक आ0स0 540 से हाल आ0स0 937 एवं साबिक आ0स0 576 से हाल आ0स0 1033 बनना तो प्रतीत होता है किन्तु साबिक आ0स0 606 से हाल आ0स0 929 बनना प्रतीत नहीं होता हैं। वादी द्वारा नकल जमाबंदी सम्वत् 2014–2018 से लेकर सम्वत् 2026–2029 तक की पेश की गई है, किन्तु इनके मध्य की जामबंदी प्रस्तुत नहीं की गई ना ही नामान्तण की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिससे प्रतीत होता हो कि वादग्रस्त भूमि किस–किस नामान्तरण से मोडसिंह जी के अन्य वारिसान के दर्ज हुई इसका कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त साबिक जमाबन्दी एवं विरासत से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। वादी को अपना वाद साबित कराने हेतु श्रंखला बद्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिये थे जो वादी द्वारा प्रस्तुत नही किए गये है। जिससे न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादी, वाद वर्णित तथ्यों को किसी भी दस्तावेज या साक्ष्य या अपनी बहस द्वारा साबित करा पाने में असफल रहे है। वादी का वाद चैन ऑफ डाक्युमेन्टस पेश नहीं किये जाने से साबित नहीं होकर खारिज योग्य है।

अतः वादी का वाद ठोस प्रमाण के अभाव में साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(ए. साईं कृष्ण)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला उदयपुर
प्रकरण संख्या 64/2023 वाद
अनवान लक्ष्मण सिंह बनाम देवकुंवर वगैरह
निर्णय एवं डिक्री वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए 188 RTA

2023/115

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी अवुला सांईकृष्ण, आई.ए.एस. मुकद्मा 64/23 सन 2023 अनवान श्री लक्ष्मण सिंह पिता श्री मोडसिंह राजपूत, निवासी बुडल, तहसील कुराबड़, उदयपुर बनाम (1) श्रीमती देवकुंवर बेवा श्री देवीसिंह राजपूत, निवासी बिलकावास, तहसील भीण्डर, उदयपुर (2) निर्भय सिंह पिता मोडसिंह जी राजपूत, निवासी मकान नं0 53, श्रीराम कॉलोनी, ई–क्लास, प्रतापनगर, उदयपुर (3) श्री कल्याण सिंह पिता मोडसिंह जी राजपूत, निवासी मकान नं0 11, नाकोडा नगर, धाउजी की बावडी, गणगौर वाटिका के पास, रकमपुरा, उदयपुर (4) नरेन्द्र सिंह पिता श्री उदयसिंह राजपूत, निवासी बुडल, तहसील कुराबड, उदयपुर हाल केन्द्रीय काराग्रह उदयपोल, उदयपुर (5) महेन्द्र पिता श्री उदयसिंह राजपूत, निवासी बुडल, तहसील कुराबड़, उदयपुर (6) श्रीमती अनोप कुंवर बेवा उदयसिंह रापजूत, निवासी बुडल, तहसील कुराबड़, उदयपुर (7) भगवानलाल पिता जवान रेबारी, निवासी रेबारियों का गुड़ा, तहसील कुराबड़, उदयपुर (9) राजकुमार पिता जवान रेबारी, निवासी रेबारियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने अवुला सांईकृष्ण, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री धनसिंह सिसोदिया अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

वादी का वाद ठोस प्रमाण के अभाव में साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गयझं

और इस वाद के खर्चे लेखे ....x.......रुपये की राशि ....x.......आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ....x..........प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ....x.......द्वारा .....x..........को दी जाए।

यह आज तारीख ....30.............माह ....03.......सन् ...2026........ को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश ....
पद उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		